—: न्यायालय उपखण्डअधिकारीनसीराबादजिलाअजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 17/2019

उनवान

मंगलचन्द पुत्र सीताराम जाति कहार नि0 श्रीनगर ,नसीराबाद
—— वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मंगली पत्नी तेजमल
2. रामदेव,
3. रमेश,
4. बाबूलाल,
5. मीरा,
6. मैना,
7. कंचन,
8. रेखा,
9. सीमा पि0 तेजमल,
10. देवीलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति कहार नि0 श्रीनगर, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 3 व 4 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
11 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

12. झमकू पत्नी हरिराम,
13. पप्पू उर्फ हनुमान पुत्र हरिराम,
14. गोदू,
15. भंवरी,
16. सीता, पि0 हरिराम,
17. भंवरी पत्नी हरिराम,
18. कैलाश
19. हेमराज पि0 सीताराम,
20. लाली पत्नी सीताराम ,
21. कोमल बा.
22. लक्ष्मी ना.बा. पि0 ओमप्रकाश जरियें संरक्षक माता लाली जाति कहार नि0 श्रीनगर, नसीराबाद

[illegible] प्रतिवादीगण — 12 से 22 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 [illegible] अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:43 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल श्रीनगर की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	श्रकबा
2971	1–7–0	3681	1–7–0	2559	0.04
				2562	0.04
				2565	0.04
				2566	0.06
				2567	0.04

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 में शोराम पुत्र प्रताप की खातेदारी में थी। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण शोराम पुत्र प्रताप के वारिस हैं। दौराने बंदोबसत आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी करने व अन्यत्र हहस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज दुरूस्त किया जावपे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 10 व 18 को प्रकरण में 4 वर्ष तक समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश पही करने के कारण जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से राजहित प्रभावित नही होते है। रिकार्ड में दुरूस्ती उचित बतायी गयी। प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राजपैरोकोर की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के चौसाला खसरा नमबर 2971 रकबा 1–7–0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 में शोराम पुत्र प्रताप की खातेदारी में दर्ज था। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 3681 रकबा 1–7–0 रामचन्द्र पुत्र गोमा की खातेदारी में दर्ज है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को चौसाला जमाबंदी में दर्ज अंकन को वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में अंकित करना था, किन्तु बंदोबस्त विभा द्वारा बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के पूर्व इन्द्राज परिवर्तित कर आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करती गयी। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 10 द्वारा प्रकरण के खण्डन में कोई जवाब भी पेश नही किया गया है। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज से आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी व प्रफार्मा प्रतिवादीगण शोराम पुत्र प्रताप के वारिस है तथा आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम व पटवार मण्डल श्रीनगर के चौसाला खसरा नम्बर 2559, 2562, 2565, 2566 व 2567 रकबा क्रमशः 0.04, 0.04, 0.04, 0.06, 0.04 बीघा आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफार्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगलचन्द बनाम मंगली

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 17/2019
पेश करने की दिनांक — 11.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

उक्तानुसार ग्राम व पटवार मण्डल श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2559, 2562, 2565, 2566 व 2567 रकबा क्रमशः 0.04, 0.04, 0.04, 0.06 व 0.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफार्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:43 IST
Reason: SelfAttested